

Government of India
Ministry of Home Affairs
(Naxal Management Division)

North Block, New Delhi

Subject: Information sought by Shri Praveen Jain under the RTI Act 2005- reg.

This has reference to the communication No.II.18015/07/2014/NM-III dated 17.01.2014 received from CS Division of this Ministry forwarding a copy of RTI Application dated 09.11.2013 of Shri Praveen Jain on the above mentioned subject.

2. Requisite information in respect of NM-II Section on Point No. 11 & 12 are as under :-

1)	Point No.11	
	(a) Application	- Nil
	(b) Order	- 07
	(c) Office Memorandum	- 02
	(d) Circular	- Nil
	(e) Information	- Nil
	(f) <u>Notification</u>	- Nil
	Total	09
	Hindi correspondence	- 01
	Bi-lingual	- Nil
2)	Point No.12	- Nil

(B.K. Biswas)
Under Secretary (NM-II)

Under Secretary, NM-III, MHA, North Block, New Delhi.

MHA.ID No.II-18015/06/2013-NM-II

Dated 04/02/2014

RTI MATTER
Most Urgent

No. V-17012/78/2013-PR
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralya
(CS Division)

V.S. (NM III)

5th floor, "B" Wing NDCC-II Bldg
Jai Singh Road, New Delhi-110001
6th January, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Information sought by Shri Praveen Jain, Under RTI Act, 2005- regarding

Reference: Letter No. 21020/1/2012- Hindi, dated 9.12.2013, forwarded to all CPIO of
M/o Home Affairs

The Undersigned is directed to refer to letter no. 21020/1/2012-Hindi, dated 9.12.2013 forwarded to all CPIO of M/o Home Affairs. Under the aforementioned letter, Shri Praveen Jain has sought the information on point 11 and 12 of his RTI application dated 5.11.2013. The subject pertains to numbers of various types of communications such as OM, Letter, Notification etc. issued by this Ministry in Hindi.

2. The matter has been examined in the light of definition of "**Information**" as given in Section 2 (f) of RTI Act, 2005. The matter has been also discussed internally and a view taken that the requisite information pertains to the collection and compilation of data which does not come within the definition of "Information" as given in Section 2 (f) of RTI Act, 2005. Hence the same may be denied as per provision of the RTI Act, 2005.

3. However, as the applicant has sought information on the above lines from all the CPIOs of MHA, a consolidated view needs to be taken in the case by all the Divisions. Hence all the concerned CPIOs of M/o Home Affairs are requested to furnish their views/comments to Dr. (Smt.) Praveen Kumari Singh, Dir (SR) & CPIO, CS Division.

Encls: as above.

Rajnish Kwatra,
Under Secretary (PR)
Telefax No. 23438185

Copy to:-

All CPIOs of M/o Home Affairs as per list annexed

प्रति,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

९६३

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अधीन सूचना पाने हेतु आवेदन

सन्दर्भ: ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३

महोदय,

कृपया ध्यान दें कि चार महीनों बाद मी आपके मंत्रालय ने उक्त आवेदन में माँगी गई सूचनाएँ प्रदान नहीं की हैं और मेरा आवेदन सामान्य सूझबूझ का प्रयोग किए बिना ही राजमाषा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और उसके बाद राजमाषा विभाग ने आवेदन मंत्रालय को वापस कर दिया था। मेरे आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सारे प्रश्न गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३ का शीघ्र निपटारा करवाएं और वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करवाएं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान करें, सारी सूचनाएँ केवल गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं इसलिए अनुरोध है कि मेरे आवेदन को मुख्यालय के बाहर हस्तांतरित ना किया जाए:

- प्रधानमंत्री कार्यालय का आदेश 27 अगस्त 1999, राजमाषा विभाग का निदेश 22 सितम्बर 1999 एवं संसदीय राजमाषा समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश वर्ष 2008 में भारत सरकार की वेबसाइटों को द्विमाषी बनाये जाने के लिए कहा गया है और हर वर्ष राजमाषा विभाग व्याख्यिक कार्यक्रमों में भी निदेश देता है। फिर भी गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट अंग्रेजी अलग बनाई है और हिन्दी में अलग बनाई है। साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के प्रमुख पावन संविधान के प्रावधानों के विपरीत अंग्रेजी वेबसाइट को प्राथमिकता दी है, अंग्रेजी वेबसाइट पहले खुलती है, अंग्रेजी वेबसाइट हमेशा पहले अद्यतित की जाती है जबकि हिन्दी वेबसाइट की घर उपेक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय अपनी मुख्य वेबसाइट को पत्र सूचना कार्यालय की तरह एक साथ दोनों माषाओं को प्रदर्शित करने वाली द्विमाषी वेबसाइट के रूप में कब आरम्भ करेगा? (जिसमें हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए संविधान ने अनुच्छेद ३५१ में भारत सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया है)
- राजमाषा विभाग के १९९२ के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार राष्ट्र निदेश जारी किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी से पहले/आगे/ऊपर किया जाएगा जबकि अभी वेबसाइट पर अंग्रेजी को प्राथमिकता, पहले खुलने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बताएँ कि कितने वर्षों में गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पीआईवी के जैसी 100% द्विमाषी रूप में तैयार कर ली जाएगी, जिसमें हिन्दी पाठ्य सामग्री में हिन्दी फाइले (पीडीएफ अथवा वर्ड) ही अनुलग्न की जाएँगी?
- गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट के हिन्दी पृष्ठों पर भी अन्य अंग्रेजी वेबसाइटों के लिंक डाले जाते हैं ना कि संबंधित हिन्दी वेबसाइट के लिंक, ऐसा किस नियम के अधीन किया जा रहा है? नियमानुसार हिन्दी पाठ्य के साथ हिन्दी वेबसाइटों को जोड़ा जाना चाहिए।
- गृह मंत्रालय ने अपने मुख्यालय में राजमाषा अधिनियम, राजमाषा नियमावली एवं राजमाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष कदम उठाये हैं?
- गृह मंत्रालय के मुख्यालय से अधीनस्थ निकायों/ संस्थानों/कार्यालयों को पिछले द्वार्षों में राजमाषा अधिनियम, राजमाषा नियमावली एवं राजमाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष निदेश जारी किए गए?
- गृह मंत्रालय के मुख्यालय की हिन्दी सलाहकार समिति एवं राजमाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठकें कब हुई थीं और अगली बैठकें कब होने वाली हैं?
- गृह मंत्रालय के मुख्यालय में कितने अधिकारी और कार्मिक केवल अंग्रेजी में काम करते हैं?
- गृह मंत्रालय के मुख्यालय में राजमाषा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में प्रयोग में लायी जा रही निम्नलिखित मदों में से कितनी द्विभाषी और कितनी केवल अंग्रेजी में बनायी गई हैं, अलग २ संख्या बताएँ:

क. पत्र-शीर्ष,

(x) अधिकारियों के आगंतुक -पत्र (विजिटिंग कार्ड),

ग. लिफ्टफ्रें,

घ. प्रवेश-पास,

ड. रक्त की मुहरें

च. अधिकारी नामपट्ट

छ. अधिकारी -कार्मिक परिचय-पत्र

ज. फॉर्म/आवेदन-पत्रों के प्रारूप

झ. ऑनलाइन फॉर्म

10. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में कौन से वर्य मूल रूप से हिन्दी में किए जाते हैं, सूचित करें?

11. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय में द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा ३(३) के अंतर्गत समग्रत:

जारी १) प्रतिवेदन, २) प्रशासकीय आदेश, ३) वार्यालयीन ज्ञापन, ४) परिपत्र, ५) सूचना, ६) अधिसूचना, तथा ७) ऐंट्री फॉर्म की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और वह मी भी ज्ञात करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

12. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों, अनुशासनों और निविदा-प्रस्तुपों की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें अंग्रेजी मी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

13. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा छिले दो वर्षों छव-२ राजभाषा अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग को मेंजी गईं?

14. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्तियों रूप से किस भाषा में लिखी जाती हैं और उसका अनुवाद किस भाषा में किया जाता है?

15. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा हिन्दी प्रेस विज्ञानों किस को मेंजी जाती हैं?

16. गृह मंत्रालय के कई अधीनस्थ कार्यालयों/व्यारोधों/संस्थानों आदि ने अपने प्रतीक चिह्न (लोगो) एवं ब्रेबसाइटें राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अब तक उ अंग्रेजी में ही बनाई हैं, इसके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के किस अधिकारी को शिकायत की जानी चाहिए?

आवेदक:

ह/-

प्रवीण जैन

ए-103, आदीश्वर सोसाइटी

सेक्टर १५, वारी

नवी मुंबई - ४००७०३

टीप: आवेदन शुल्क १० रुपये का ऑनलाइन